

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 9, गुरुवार, शाके 1939—मार्च 30, 2017 Chaitra 9, Thursday, Saka 1939-March 30, 2017	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2017

संख्या प. 2 (4) विधि/2/2017 :-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 3)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में, विशेषतः कौशल विकास में, तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाने हेतु उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षिक और कौशल विकास सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि कौशल विकास में शिक्षा और अनुसंधान की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के

अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, कौशल विकास और उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः, राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन उप-रजिस्ट्रार, जयपुर 5 के कार्यालय में पुस्तक सं. 4 खण्ड सं. 68 पृष्ठ सं. 166 क्रम संख्या 201603019400240, दिनांक 11 मई, 2016 पर रजिस्ट्रीकृत एक पूर्ण न्यास है;

और यतः, राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजस्थान राज्य में महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, आफ अजमेर रोड, जयपुर- 302037 में अवस्थित अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना को अंतरित करने और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अध्ययन के लिए भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने का परिवचन दिया है। इसने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए पांच करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य श्री कृष्ण कुणाल, आई.ए.एस., आयुक्त डी.एस.ई.ई. और एम.डी. आर.एस.एल.डी.सी. (अध्यक्ष), आचार्य आर.पी. यादव, एम.एन.आई.टी. जयपुर (सदस्य), श्री धीरेन्द्र देवर्षी, उच्च शिक्षा (अनुभाग-4) जयपुर (सदस्य), आचार्य विक्टर गम्भीर, प्रेसीडेन्ट, जी.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर (सदस्य), आचार्य हर्ष द्विवेदी, पोद्दार प्रबंध संस्थान, जयपुर (सदस्य) थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय चलाने के लिए

अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के कौशल और शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

अतः अब, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 23 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "प्रबंध बोर्ड" से धारा 22 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "चेयरपर्सन", "प्रेसीडेन्ट", "प्रति-प्रेसीडेन्ट" से क्रमशः विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन, प्रेसीडेन्ट और प्रति-प्रेसीडेन्ट अभिप्रेत हैं;

(ङ) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(च) "पाठ्यचर्या पैकेज" से सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या पैकेज जिसमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें, छात्र निर्देशिका, प्रशिक्षक गाइड, प्रशिक्षण निर्देशिका, आकलन और मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांत और किसी विशेष कार्य भूमिका में लगे हुए या लगने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित निष्पादन परिणाम, कौशल और सक्षमता

अर्जित करने हेतु किसी छात्र को कौशल शिक्षा प्रदान करने और अध्यापन के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सम्मिलित करते हुए समस्त ऐसी सामग्री अभिप्रेत है;

- (छ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;
- (ज) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;
- (झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;
- (ञ) "फीस" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किया गया संग्रहण, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है, जो प्रतिदेय नहीं है;
- (ट) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर से ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;
- (ड) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (ढ) "भा.कृ.अ.प." से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;

- (ण) "भा.आ.प." से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है;
- (त) "रा.नि.प्र.प." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था-राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर अभिप्रेत है;
- (थ) "रा.अ.शि.प." से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (द) "निवेश बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो;
- (ध) "भा.भे.प." से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् अभिप्रेत है;
- (न) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (प) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., भा.आ.प., भा.भे.प., रा.नि.प्र.प., भा.कृ.अ.प., दू.शि.प., वै.औ.अ.प. आदि अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित है;
- (फ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

- (ब) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (भ) "कौशल" से किसी कार्य-भूमिका को सफलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक निष्पादित करने के लिए शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से अर्जित की गयी अर्हता और सक्षमता अभिप्रेत है;
- (म) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन निगमित राजेन्द्र एण्ड उर्सला जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो उप-रजिस्ट्रार, जयपुर 5 के समक्ष दिनांक 11 मई, 2016 को रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है;
- (य) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (कक) "विश्वविद्यालय का छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;
- (खख) "अध्ययन केन्द्र" से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्श करने या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है;
- (गग) "अध्यापक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (घघ) "वि.अ.आ." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है; और
- (डड) "विश्वविद्यालय" से भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है।

3. निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के प्रथम चेयरपर्सन, प्रथम प्रेसीडेन्ट और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके द्वारा भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उठायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय डी.टी.ए.-005-001, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, आफ अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर- 302037 में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में और ऐसी अन्य शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अवधारित करे, अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ज्ञान का प्रसार करने के हैं।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) ऐसे कौशल और सहबद्ध क्षेत्रों में, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, क्रेडिट फ्रेमवर्क और पाठ्यचर्या पैकेजों से

- संगत कौशल शिक्षा, अध्यापन और अनुदेश के मान और मापदण्ड परिभाषित करना;
- (ii) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों में और ऐसे कौशल और सहबद्ध क्षेत्रों में, जो कि विश्वविद्यालय ज्ञान और कौशल प्रशिक्षण के प्रसार के लिए और इसके उद्देश्यों से संगत उचित समझे, क्रेडिट फ्रेमवर्क और पाठ्यचर्या पैकेजों के अनुसार पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए, जो अवधारित किये जायें, शिक्षा प्रदान करना;
- (iii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (iv) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना;
- (v) अनुसंधान और परामर्श के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (vi) डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना;
- (vii) विहित रीति से सम्मानिक डिग्रियां और अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना;
- (viii) विश्वविद्यालय के किसी छात्र के ज्ञान और सक्षमता के आंकलन की परीक्षा या किसी अन्य अध्युपाय के, या प्रवेश के, मान परिभाषित करना;
- (ix) परीक्षाएं या ज्ञान या सक्षमता के अन्य आंकलन, जैसाकि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, करवाना;
- (x) कौशल में छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उद्योगों को चिह्नित करना और सहयोग करना और उपार्जन क्रेडिटों के प्रयोजन के लिए उद्योग में

- ऐसे प्रायोगिक प्रशिक्षण में किसी छात्र द्वारा प्राप्त सक्षमता की मान्यता के मान परिभाषित करना;
- (xi) कार्य या उद्योग में सुसंगत अनुभव पर आधारित कौशल में, पूर्व शिक्षण और सक्षमता की मान्यता के आंकलन के लिए मान और अध्युपाय परिभाषित करना, और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार ऐसे पूर्व शिक्षण या सक्षमता के लिए क्रेडिट समनुदेशित करना;
- (xii) शिक्षण परिणामों पर समझौता किये बिना नये शिक्षण अवसरों का प्रोन्नयन करने के लिए क्रेडिटों के अंतरण हेतु मान अधिकथित करना;
- (xiii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित, ऐसी अर्हताओं और पदनामों सहित, जो वह उचित समझे, कौशल शिक्षा, अध्यापन या अन्य शैक्षणिक स्थितियों को संस्थित करना, और व्यक्तियों को ऐसे पदों पर पदावधि, अवधि पर या अन्यथा नियुक्त करना;
- (xiv) किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या किसी उद्योग में कार्य कर रहे या इसके अनुरूप कार्य का अनुभव रखने वाले, अपेक्षित ज्ञान अथवा सक्षमता रखने वाले व्यक्तियों को, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, विश्वविद्यालय के सहायक, अतिथि या अभ्यागत संकाय के रूप में नियुक्त करना;
- (xv) कौशल शिक्षकों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के आंकलन और प्रत्यायन के लिए मापदण्ड अधिकथित करना;
- (xvi) प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (xvii) ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण, परामर्श, और सलाहकारी सेवाओं सहित, अनुदेशों और अन्य सेवाओं के लिए फीस और अन्य प्रभारों का संदाय, जैसाकि विश्वविद्यालय उचित समझे, अवधारित करना, विनिर्दिष्ट करना और

- छात्रों और किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, उद्योग या निगमित निकाय से, प्राप्त करना;
- (xviii) विश्वविद्यालय की और इसमें निहित किसी संपत्ति का, ऐसी रीति से जैसीकि विश्वविद्यालय इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित समझे अर्जन, धारण, प्रबंध और व्ययन करना;
- (xix) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकृतियां प्राप्त करना और वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या, यथास्थिति, अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयत, दान और अंतरण प्राप्त करना;
- (xx) इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर-भीतर परिसरों और प्रशिक्षण केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए ऐसी अवसंरचना स्थापित और संधारित करना, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों;
- (xxi) ऐसी कौशल आवश्यकताओं के आंकलन के लिए अध्ययनों का जिम्मा लेना या अध्ययन करवाना, जो भविष्य में अपेक्षित हों और राष्ट्रीय या, यथास्थिति, अन्तरराष्ट्रीय रूप से, संबंधित राज्य में उभरते हुए रोजगार बाजार के निबंधनों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालय में दी गयी या दिये जाने के लिए प्रस्तावित शिक्षा से सुसंगत कौशल आंकलन और आवश्यकताओं का डाटाबेस तैयार करना और उसका संधारण करना;
- (xxii) उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को जोड़ने के लिए संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने हेतु किसी अन्य विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व की संस्था के साथ सहयोग करना;
- (xxiii) क्षमता निर्माण, सक्षमता विकास, वैश्विक मानकों के ज्ञान और सामर्थ्य के प्रयोजन के लिए कौशल शिक्षा

- की संस्थाओं के साथ कौशल शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- (xxiv) युवाओं के मध्य कौशल में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना;
- (xxv) लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, पंथ या वर्ग का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खोला जाना;
- (xxvi) ऐसे सभी अन्य क्रियाकलाप करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अनुसरण में आवश्यक या साध्य हों;
- (xxvii) निवेश-बाह्य अध्यापन और विस्तार सेवाएं संगठित करना और जिम्मा लेना;
- (xxviii) विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के मानक विद्या परिषद् के अनुमोदन से अवधारित करना;
- (xxix) प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के या प्रशिक्षण केन्द्र के किसी पाठ्यक्रम में राज्य से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए विशेष उपबंध करना;
- (xxx) विश्वविद्यालय के कार्मिकों, अध्यापकों और छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक अध्युपाय करना जैसाकि आवश्यक समझे जायें;
- (xxxi) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसंधान पदों को संस्थित करना;
- (xxxii) विश्वविद्यालय के संकाय, अधिकारियों और कार्मिकों की नियुक्तियां करना;
- (xxxiii) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन के उपबंध करना और अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए प्रदर्शनियों, पुनश्चर्या,

अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमीनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

- (xxxiv) किसी भी अन्य संगठन के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विषय में ऐसे निबंधन और शर्तें जो करार पायी जायें, सहकार करना, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;
- (xxxv) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्च शिक्षा के अन्य स्थानों की परीक्षा या अध्ययन की कालावधि (चाहे पूर्णतः या भागतः) को विश्वविद्यालय में परीक्षा या अध्ययन की कालावधि के समकक्ष मान्यता देना और ऐसी मान्यता को किसी भी समय प्रत्याहृत करना;
- (xxxvi) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर संपत्तियों के समस्त या किसी भाग का, विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निबंधनों पर, जैसाकि वह उपयुक्त तथा उचित समझे, विक्रय, विनिमय, पट्टा या अन्यथा व्ययन करना;
- (xxxvii) वचनपत्र, विनिमय पत्र या अन्य परक्राम्य लिखत का प्रतिग्रहण और लिखना, बनाना और पृष्ठांकित करना, छूट देना और पराक्रमण करना;
- (xxxviii) विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूति को सम्मिलित करते हुए जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में अभिहस्तांतरण, अंतरण, बंधक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां और करार निष्पादित करना;
- (xxxix) विश्वविद्यालय के किसी लिखत या किसी कारबार के संव्यवहार को निष्पादित करने के

लिए, किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, जो वह उचित समझे;

- (xl) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को संचालित करने से परित्याग करना और प्रविरत रहना;
- (xli) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ करार करना;
- (xlii) बन्धपत्रों, बन्धकों, वचन पत्रों या विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी संपत्तियों और आस्तियों पर आधारित अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों या बिना किन्हीं भी प्रतिभूतियों के और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे, और विश्वविद्यालय की निधियों को चुकाने के लिए, धन जुटाने से आनुषंगिक व्यय, और उधार लिये गये किसी धन का पुनर्संदाय और मोचन करने के लिए धन जुटाना और उधार लेना;
- (xliii) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय में न्यस्त धन, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से, जो उचित समझी जाये, निवेश करना और किसी निवेश को समय-समय पर अंतर्विनिमय करना;
- (xliv) ऐसे परिनियम, आर्डिनेंस या विनियम बनाना, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के कार्यों और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे जायें और उनको परिवर्तित, संशोधित और प्रतिसंहत करना;
- (xlv) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी, जैसा वह उचित समझे, गठित

करना और ऐसे अनुदान करना जो वह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिए ठीक समझे;

(xlvii) विश्वविद्यालय के प्रेसीडेंट या किसी समिति या किसी उप-समिति या शासकों के बोर्ड के अनुमोदन से इसके निकाय के किसी एक या अधिक सदस्यों या इसके अधिकारियों को इसकी समस्त या कोई भी शक्तियां प्रत्यायोजित करना; और

(xlviii) ऐसी सभी बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.- विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. संबद्ध करने की शक्ति का न होना.- विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं होगी।

8. विन्यास निधि.- (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र पांच करोड़ रुपये की रकम से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी।

(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समपहृत करने की शक्ति होगी।

(3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगा किन्तु उसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगा।

(4) विन्यास निधि की रकम, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या प्रत्याभूत दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विश्वविद्यालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में ब्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक जमा रखी जायेगी।

(5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में, प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगी।

9. साधारण निधि.- विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्शी सेवा और किये गये अन्य कार्य से प्राप्त आय;
- (घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोजन.- साधारण निधि का उपयोजन, विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में किया जायेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबंध बोर्ड द्वारा

नियत की जायें, के बाहर, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) चेयरपर्सन;
- (ii) प्रेसीडेंट;
- (iii) प्रति-प्रेसीडेंट;
- (iv) प्रोवोस्ट;
- (v) कुलानुशासक;
- (vi) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (vii) कुल-सचिव;
- (viii) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और
- (ix) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

12. चेयरपर्सन.- (1) चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु चेयरपर्सन, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) चेयरपर्सन के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) चेयरपर्सन, उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) चेयरपर्सन, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की, और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की, अध्यक्षता करेगा।

(5) चेयरपर्सन की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (i) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना;
- (ii) प्रेसीडेंट नियुक्त करना;

(iii) धारा 13 की उप-धारा (8) के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेंट को हटाना; और

(iv) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

13. प्रेसीडेंट.- (1) प्रेसीडेंट की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से चेयरपर्सन द्वारा की जायेगी और वह उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा:

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रेसीडेंट उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) प्रेसीडेंट के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) प्रेसीडेंट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(4) प्रेसीडेंट, चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) यदि प्रेसीडेंट की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सर्वप्रथम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई प्रेसीडेंट द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेंट द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, प्रेसीडेंट द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(6) यदि, प्रेसीडेंट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) प्रेसीडेंट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जायें।

(8) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेंट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रेसीडेंट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रेसीडेंट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

14. प्रति-प्रेसीडेंट.- (1) प्रति-प्रेसीडेंट की नियुक्ति चेयरपर्सन द्वारा प्रेसीडेंट के परामर्श से की जायेगी।

(2) प्रति-प्रेसीडेंट तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) प्रति-प्रेसीडेंट की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रति-प्रेसीडेंट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रति-प्रेसीडेंट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रति-प्रेसीडेंट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(5) प्रति-प्रेसीडेंट, ऐसे मामलों में, जो प्रेसीडेंट द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किये जायें, प्रेसीडेंट की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो प्रेसीडेंट द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

15. प्रोवोस्ट.- (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति प्रेसीडेंट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) प्रोवोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनिश्चित करेगा और अध्यापकों और कर्मचारियों के विभिन्न निकायों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करेगा।

(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. कुलानुशासक.- (1) कुलानुशासक की नियुक्ति प्रेसीडेंट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) कुलानुशासक छात्रों में अनुशासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र निकायों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलानुशासक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. संकाय का संकायाध्यक्ष.- (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो प्रेसीडेन्ट द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) संकायाध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट के परामर्श से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव की नियुक्ति चेयरपर्सन द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से कुल-सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) कुल-सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी.- (1) प्रेसीडेन्ट द्वारा मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अन्य अधिकारी.- (1) विश्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) प्रबंध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) संकाय; और
- (iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबंध बोर्ड.- (1) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (क) चेयरपर्सन;
- (ख) प्रेसीडेन्ट;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् या अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं के विशेषज्ञ होंगे;
- (घ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;
- (ङ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ;
- (च) कौशल, रोजगार, उद्यमिता, श्रम और कारखाना एवं बायलर्स विभाग, सरकार का एक प्रतिनिधि; और
- (छ) प्रेसीडेन्ट द्वारा नामनिर्देशित दो अध्यापक।

(2) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां प्रबंध बोर्ड में निहित होंगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनैंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेशन का उपबंध करना और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना;

- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किये गये विनिश्चयों का उस दशा में पुनरीक्षण करना जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब सभी प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) प्रबंध बोर्ड की किसी कलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी।

(4) प्रबंध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

23. विद्या परिषद्- (1) विद्या परिषद् में प्रेसीडेंट और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रेसीडेंट विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, और तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगी।

(4) विद्या परिषद् की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी।

(5) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

24. अन्य प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरर्हता.- कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

- (क) विकृत चित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;
- (ख) अनुमोचित दिवालिया है;
- (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;
- (घ) प्राइवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है; या
- (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

26. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

27. आपात रिक्तियों का भरा जाना.- किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव शीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया था:

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा।

28. समिति.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश-निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

29. परिनियम.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किये जायें;
- (ख) प्रेसीडेंट की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कृत्य;
- (ग) कुल-सचिव और मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुशासक नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ङ) वह रीति जिससे संकायों के संकायाध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें और उनके कृत्य;
- (ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;
- (झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

- (ज) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध;
- (ट) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध;
- (ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध;
- (ढ) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन;
- (ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
- (त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समापन या पुनःसंरचना;
- (थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (द) पदों के सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
- (ध) फीस का पुनरीक्षण;
- (न) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन; और
- (प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किये जाने अपेक्षित हैं या विहित किये जायें।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर उनका अनुमोदन करेगी।

(4) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित परिनियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं भी या समस्त उपांतरणों को प्रभावी करने का इच्छुक नहीं है तो वह उसके लिए कारण

दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् परिनियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

30. आर्डिनेन्स.- (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (च) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;
- (झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और

(ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।

(2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विद्या परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।

(4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

31. विनियम.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।

32. प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा

या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी:

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।

33. फीस संरचना.- (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस-

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।

(4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप-धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।

34. परीक्षाएं.- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची

तैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

स्पष्टीकरण.- "परीक्षाओं की अनुसूची" से प्रत्येक प्रश्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा:

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझे।

35. परिणामों की घोषणा.- (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में ऐसे परिणाम ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर घोषित करेगा:

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय उपर्युक्त पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विश्वविद्यालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, इस धारा में यथा-नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया है।

36. दीक्षांत समारोह.- विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

37. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.- विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय से मानकों के अनुरूप प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, रा.नि.प्र.प. या किसी अन्य प्रत्यायन निकाय द्वारा विश्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय प्रत्यायन निकाय के मानकों के अनुरूप समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगा।

38. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन किया जाना.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाये।

39. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी।

40. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी। विश्वविद्यालय के लेखों और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी। प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी।

41. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां:- (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह उचित समझे, निरीक्षण करवा सकेगी।

(2) राज्य सरकार सुधार कार्रवाई के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशों से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में प्रयास करेगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के अधीन की गयी सिफारिशों का अनुपालन युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझे।

42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की शक्तियां:- (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, अध्यापन के स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में, जो वह विश्वविद्यालय की दक्षता के निर्णयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, सूचना की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगा।

43. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.- (1)

प्रायोजक निकाय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

44. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां.-

(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेशों के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर

रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना; और
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(6) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवर्तनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदेश और निदेश के अध्वधीन होंगे।

(7) उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन प्रबंध बोर्ड की समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबंध बोर्ड के समस्त कर्तव्यों के अध्यक्षीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का तब तक प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।

(9) उप-धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

45. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

46. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

47. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान-मण्डल को विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

48. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची 1

अवसंरचना

1. भूमि: ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा सं. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 176, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 242, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 255, 183/2568, 183/2599, 189/2502,

189/2600, 189/2601, 191/2677 एवं 193/2518 और ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा सं. 658, 660, 661, 658/2910 एवं 658/2945 में समाविष्ट 30.050 एकड़ भूमि तथा डी.टी.ए.-005-001 और 005-002, ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा सं. 574 और 575 में समाविष्ट 7.367 एकड़ भूमि।

2. भवन:

(i) प्रशासनिक खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 38

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
मुख्य कार्यालय	04
छोटे कार्यालय	07
भोजनशालाएं	02
प्रक्षालन कक्ष	07
नियंत्रण कक्ष	01
स्वागत कक्ष सह आगन्तुक लाउन्ज	02
पुस्तकालय	01
कार्य स्थल (कर्मचारिवृन्द के लिए)	13
सर्वर कक्ष	01
कुल	38

(ख) कुल निर्मित क्षेत्र का माप: 668 वर्ग मीटर

(ii) शैक्षणिक खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 38

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
कार्यालय	06 (प्रोवोस्ट, कुलानुशासक और संकायाध्यक्ष कार्यालय को सम्मिलित करते हुए)
स्वागत कक्ष सह आगन्तुक लाउन्ज	02
कार्यशालाएं	05

प्रयोगशालाएं	03
सैद्धान्तिक कक्ष (सी.एन.सी. प्रोग्रामिंग कक्ष, कक्षाएं)	08
चिकित्सा कक्ष	01
गृह रख-रखाव कक्ष	01
भंडार	02
प्रक्षालन कक्ष	02
सम्मेलन कक्ष	02
संकाय कक्ष	01 (24 स्टेशनों सहित)
भोजनशालाएं	02
लॉकर कक्ष	01
पुस्तकालय सह सेमीनार हाल	01
परीक्षा नियंत्रण कक्ष	01
कुल	38

(ख) कुल निर्मित क्षेत्र का माप: 7050 वर्ग मीटर

(iii) निवासीय खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 55

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
कक्ष (दो के द्वारा अधिभोग)	52
कामन कक्ष (प्रत्येक तल पर)	03
कुल	55

(ख) छात्रावास निर्मित क्षेत्र : 3112 वर्ग मीटर

(ग) भोजनालय निर्मित क्षेत्र : 1195 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र: 12025 वर्ग मीटर

अन्य सुख-सुविधाएं

- डेडीकेटेड 2 एम.बी.पी.एस. लीज्ड लाइन कनेक्शन

- सम्पूर्ण भवन में वाई-फाई कनेक्टिविटी
- स्वचालित मोड पर कार्य करने वाले 140 के.वी.ए. जनरेटर के साथ कार्यक्रमों के दौरान 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति
- काफी लाउन्ज
- उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनि ध्वनिकी
- खेल जैसे कि बास्केटबाल/टेबिल टेनिस/बेडमिंटन
- एल.सी.डी. प्रोजेक्टर और स्क्रीन
- टेली-कांफ्रेंसिंग सुविधाएं

अनुसूची 2

शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा कौशल संकाय

1. विनिर्माण और मोटर-वाहन कौशल शिक्षा संकाय
2. सन्निर्माण, अवसंरचना और लोक स्वास्थ्य कौशल शिक्षा संकाय
3. वैद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, दूरसंचार कौशल शिक्षा संकाय
4. व्यवसाय प्रबंधन, व्यापार और खुदरा, उद्यमिता और परंपरागत कौशल शिक्षा संकाय
5. स्वास्थ्य परिचर्या, स्वास्थ्य, घरेलू कार्य, घर की देखभाल और सौंदर्य की देखभाल कौशल शिक्षा संकाय
6. परिवहन और प्रचालन-तन्त्र कौशल शिक्षा संकाय
7. शिक्षा, संचार माध्यम और मनोरंजन कौशल शिक्षा संकाय
8. कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन कौशल शिक्षा संकाय
9. सुरक्षा, पर्यटन और आतिथ्य कौशल शिक्षा संकाय
10. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा कौशल प्रशिक्षण संकाय
11. वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौना डिजाइन, रत्न और आभूषण, साज सामान और फर्नीचर एवं फिटिंग कौशल शिक्षा संकाय
12. शेष रहे क्षेत्र कौशल परिषद् में समाविष्ट करने के लिए कोई अन्य संकाय

सहबद्ध संकाय

- ;1द्ध शिक्षा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी
- ;2द्ध प्रबंधन अध्ययन
- ;3द्ध विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
- ;4द्ध विधि
- ;5द्ध कला, वाणिज्य और मानविकी
- ;6द्ध चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग और औषधनिर्माण विज्ञान और सह-चिकित्सा शिक्षा को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य परिचर्या
- ;7द्ध योजना और स्थापत्य-कला
- ;8द्ध भाषाएं
- ;9द्ध ज्ञान के कोई अन्य उभरते हुए क्षेत्र

आशुतोष कुमार,
शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, March 30, 2017

No. F. 2 (4) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Bhartiya Kaushal Vikas Vishwavidyalaya, Jaipur Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 3) :-

**(Authorised English Translation)
THE BHARTIYA SKILL DEVELOPMENT UNIVERSITY,
JAIPUR ACT, 2017
(Act No. 3 of 2017)**

(Received the assent of the Governor on the 28th day of March 2017)

An

Act

to provide for establishment and incorporation of the Bhartiya Skill Development University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.